"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2012—पौष 30, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

क्रमांक ई- 2/2011/एक/2.—श्री डी. डी. सिंह, भा.प्र.से. (2000), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा संयुक्त स चव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को केवल संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

क्रमांक ई-1-16/2003/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015/21/2002-एआईएस (I)-बी, दिनांक 16-1-2004 एवं आदेश क्रमांक 14015/39/2011-एआईएस (I), दिनांक 25-11-2011 के तारतम्य में, श्री एच.पी. किण्डो को, भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के फलस्वरूप, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2012

क्रमांक ई-1-14/2009/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2006 आवंटन वर्ष के श्री सी. आर. प्रसन्ना को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 6600) में पदोन्नत किया जाता है.

2. श्री सी. आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से. को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के दिनांक से अर्थात् दिनांक 27-5-2011 से देय होगा तथा वे अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला बलरामपुर के पद पर यथावत पदस्थ रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 14-9/2009/1-3.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा-17 के अन्तर्गत इसी अधिनियम की धारा 18 में उल्लेखित कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा मान. मंत्री जी, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास विभाग की अध्यक्षता में निम्नलिखित विधायकगणों की सदस्यता में एक स्थायी समिति का गठन करता है :—

1.	श्री केदार कश्यप मंत्री, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.	-	अध्यक्ष
2.	श्री रामजी भारती	-	सदस्य
3.	श्री फूलचंद सिंह	-	सदस्य
4.	श्री विरेन्द्र कुमार साहू	-	सदस्य
5.	डॉ. हरिदास भारद्वाज	-	सदस्य
6.	श्री शिवराज सिंह उसारे	-	सदस्य
7.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग	-	सदस्य
8.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुजाति विकास विभाग	-	सदस्य

2. उक्त समिति द्वारा निम्नांकित कृत्य संपादित किए जाएंगे :—

(क) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन.

(ख) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उपायों का सुझाव देना.

(ग) ऐसे अन्य कृत्य जो राज्य सरकार समय-समय पर समिति को सौंपे.

3. अधिनियम की धारा 17 (2) के अन्तर्गत गठित उक्त स्थायी समिति की कालावधि-2 वर्ष विहित की जाती है.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अधीन गठित स्थायी समिति के माननीय सदस्यों के स्थायी एवं स्थानीय पते की सूची :—

क्र. (1)	मान. अध्यक्ष/सदस्य का नाम (2)	स्थायी पता (3)	स्थानीय पता/दूरभाष (4)
1.	श्री केदार कश्यप, मंत्री, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग.	—	सी-3, फारेस्ट कालोनी, राजातालाब रायपुर, दूरभाष-2331032, 2331033
2.	श्री रामजी भारती 74-डोंगरगढ़ (अ.जा.)	(1) ग्राम-तेन्दूभाठा, पोस्ट-मोहारा तहसील-डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव, पिन-491445 (2) 94 पूनम कालोनी, वर्धमान नगर, राजनांदगांव, पिन-491441 दूरभाष-07744-404300	(1) एच-6, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर. (2) एल.आई.जी.-5, इंद्रावती कॉलोनी, राजातालाब, रायपुर. दूरभाष-2423720 मो.-096308-64300 मो.-094241-29110
3.	श्री फुलचन्द सिंह 01-भरतपुर-सोनहट (अ.ज.जा.)	मुकाम-पोस्ट-भगवानपुर, तहसील-भरतपुर, जिला-कोरिया दूरभाष-07835-298204 दूरभाष-0771-2427021 मो.-094000-02463	(1) 27/145, बसुन्धरा सदन के पास, न्यू शांतिनगर, रायपुर. (2) आई-6, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर.
4.	श्री वीरेन्द्र कुमार साहू 61-गुंडरदेही	गौटिया पारा, ग्राम-पोस्ट-बेलौंदी, थाना-रनचिरई, तहसील-गुंडरदेही जिला-दुर्ग, पिन-491222 दूरभाष-0788-2101682	ई-3, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर. मो.-091798-81020 मो.-094241-28321
5.	डॉ. हरिदास भारद्वाज 39-सराईपाली (अ.जा.)	ग्राम-पतेरापाली, (एच.पी. गैस एजेंसी के पास) पोस्ट-सरायपाली, जिला-महासमुंद. मो.-094252-28784	एफ-2, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर. दूरभाष-0771-2331176 मो.-090095-35125
6.	श्री शिवराज सिंह उसारे 78-मोहला-मानपुर (अ.ज.जा.)	ग्राम-पोस्ट-भर्रीटोला, तहसील-मानपुर जिला-राजनांदगांव. दूरभाष-07747-218621 मो.-097535-40268	ए-6, विधायक विश्राम गृह, अयोध्या परिसर, रायपुर. मो.-094241-13760
7.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	—	डी-1/7, आफिसर्स कालोनी, देवेन्द्र नगर, रायपुर. दूरभाष-2881811 मो.-98271-64365
8.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति विकास विभाग	—	ई-2/39, देवेन्द्र नगर, आफिसर्स कॉलोनी रायपुर. दूरभाष-0771-2583949 मो.-9424243600.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-3/2011/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्नलिखित जिलों के नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2011 हेतु मतदान की तिथि बुधवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को केवल निर्वाचन क्षेत्रों के शासकीय कार्यालयों में सामान्य अवकाश घोषित करता है :—

क्रमांक (1)	जिला (2)	नगरीय निकाय (निर्वाचन क्षेत्र) का नाम (3)
1.	रायपुर	नगर पंचायत कसडोल के रिक्त वार्ड क्रमांक 9
2.	दुर्ग	नगर पालिक निगम भिलाई के रिक्त वार्ड क्रमांक 56
		नगर पंचायत पाटन के रिक्त वार्ड क्रमांक 13
		नगर पंचायत डौंडी के रिक्त वार्ड क्रमांक 7
		नगर पंचायत चिखलाकसा के रिक्त वार्ड क्रमांक 1, 14, 15
3.	कबीरधाम	नगर पंचायत पिपरिया के रिक्त वार्ड क्रमांक 1

2. उपरोक्त अवकाश मतदान की स्थिति में ही अनुज्ञेय होगा.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-4/2005/1/5.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-2/2010/1/5 दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2012 को "चैतीचांद" का ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया है.

2. उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य शासन एतद्द्वारा वर्ष 2012 में शनिवार, दिनांक 24 मार्च, 2012 को "चैतीचांद" के अवसर पर, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में केवल शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्रमांक 1573/827/अव./2011/1-8/स्था.—श्री असफाक हुसैन सिद्दीकी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह जेल विभाग को दिनांक 8-11-2011 से 11-11-2011 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 6, 7, 12 एवं 13-11-2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिद्दीकी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिद्दीकी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्दीकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्रमांक 1641/837/अव./2011/1-8/स्था.—श्री एन. के. साकी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (संविदा), सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 20-10-2011 से 5-11-2011 तक 17 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 6 एवं 7-11-2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री साकी, आगामी आदेश तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री साकी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2011

क्रमांक 1653/820/अव./2011/1-8/स्था.—श्री यूनुस अली (भावसे), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 19-12-2011 से 31-12-2011 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17, 18-12-2011 एवं 1-1-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अली, आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अली को केवल वेतन बेन्ड वेतन, ग्रेड वेतन एवं महंगाई भत्ता देय होगा.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

क्रमांक 1660/849/अव./2011/1-8/स्था.—श्री एन. डी. कुन्दानी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग को दिनांक 19-12-2011 से 31-12-2011 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17 तथा 18-12-2011 एवं 1-1-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुन्दानी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुन्दानी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुन्दानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

क्रमांक 1704/856/अव./2011/1-8/स्था.—श्री एस. के. चौधरी, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 22-9-2011 से 28-9-2011 तक 07 दिवस तथा दिनांक 3-10-2011 से 10-10-2011 तक 08 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चौधरी, आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चौधरी 08 दिवसीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ. 2-7/2010/1-8.—श्री जी. आर. मालवीय, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2012

क्रमांक/61/डी-15/116 (पार्ट-2)/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रसंस्करणकर्ता द्वारा राज्य के बाहर से प्रसंस्करण हेतु लाये गये दलहन एवं गेहूं पर 01-04-2011 से 31-03-2013 तक की कालावधि के लिए मण्डी शुल्क से उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन पूर्णत: छूट प्रदान करती है.

No./61/D-15/116/Part-2/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby exempts full Market Fees [Under Sub-section (1) of section 19 of the said Act] on the pulses and wheat which are brought by processors from out side of the State for processing for the period from 01-04-2011 to 31-03-2013.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 7-36/2009/12.—खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 74 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका के कालम (6) एवं (7) में उल्लेखित अक्षांश एवं देशांश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से इस अधिसूचना जारी होने की दिनांक के पूर्व से स्वीकृत/अनुशंसित खनिज रियायत के क्षेत्रों को छोड़कर, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ द्वारा सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण के लिए आरक्षित करती है :—

तालिका

क्र.	जिले का नाम	खनिज का नाम	क्षेत्र का नाम	को-आर्डिनेट			टोपोशीट
				प्वाईंट	अक्षांश	देशांश	क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	रायपुर	लाईमस्टोन	केसला	A	21°25' 57"	81°55' 45"	64G/15
				B	21°25' 57"	81°56' 56"	
				C	21°24' 34"	81°56' 56"	
				D	21°24' 34"	81°55' 45"	
2.	राजनांदगांव	लाईमस्टोन	टेकापार-कलकसा	A	21°22' 38"	80°56' 45"	64C/15
				B	21°22' 38"	80°58' 28"	
				C	21°21' 00"	80°58' 28"	
				D	21°21' 00"	80°56' 45"	
3.	दंतेवाड़ा	लाईमस्टोन	पुसपल्ली-गोंगला	A	18°26' 00"	81°35' 00"	65E/11
				B	18°26' 00"	81°41' 00"	
				C	18°21' 00"	81°41' 00"	
				D	18°21' 00"	81°35' 00"	
4.	जांजगीर-चांपा	लाईमस्टोन	ढाबाडीह-जोरिला	A	21°50' 00"	82°21' 30"	64K/5
				B	21°50' 00"	82°23' 50"	
				C	21°47' 45"	82°23' 50"	
				D	21°47' 45"	82°21' 30"	
		डोलोमाईट	पचौरी-भलवाही	A	21°55' 00"	82°26' 15"	64K/5
				B	21°55' 00"	82°28' 00"	
				C	21°53' 15"	82°28' 00"	
				D	21°53' 15"	82°26' 15"	
5.	बस्तर	आयरन ओर	पवारास-अमोरा	A	20°00' 00"	81°38' 00"	65E/9 & 10
				B	20°00' 00"	81°42' 00"	
				C	19°30' 00"	81°42' 00"	
				D	19°30' 00"	81°38' 00"	
6.	सरगुजा	कोल	सैदु	A	22°46' 15"	82°47' 45"	64J/13 & 14
				B	22°46' 15"	82°49' 30"	
				C	22°44' 15"	82°49' 30"	
				D	22°44' 15"	82°47' 45"	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			घोटुम एवं	A	22°47' 03"	83°06' 07"	64N/1 &
			बिरजापाली	B	22°47' 10"	83°09' 00"	N2
			(मैनपाट का पश्चिम)	C	22°43' 15"	83°09' 12"	
				D	22°43' 08"	83°06' 20"	
7.	कांकेर/बस्तर	ग्रेनाईट	मुरवेंड-गारावन्डी	A	20°15' 00"	81°30' 00"	64H/12
				B	20°15' 00"	81°45' 00"	
				C	20°00' 00"	81°45' 00"	
				D	20°00' 00"	81°30' 00"	
8.	दंतेवाड़ा	ग्रेनाईट	भुसारास-चिंगावरम	A	18°45' 00"	81°30' 00"	65F/10
				B	18°45' 00"	81°45' 00"	
				C	18°35' 00"	81°45' 00"	
				D	18°35' 00"	81°30' 00"	
9.	कांकेर	ग्रेनाईट	चारामा-कांकेर-लखनपुरी	A	20°30' 00"	81°20' 00"	64H/7
				B	20°30' 00"	81°30' 00"	
				C	20°15' 00"	81°30' 00"	
				D	20°15' 00"	81°20' 00"	

2. उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 03 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी. खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 74(2) के उपबंध के अधीन इस अधिसूचना के प्रभावशील रहने तक इन अधिसूचित आरक्षित क्षेत्रों में खनिज रियायतें स्वीकृत नहीं की जा सकेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 7-36/2009/12.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7-36/2009/12, दिनांक 20-12-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 20th December 2011

No. F 7-36/2009/12.—In exercise of the power conferred by Sub Rule (1) of the Rule 74 of Mineral Concession Rule, 1960, the State Government hereby reserves the areas covered by the longitudes and latitudes mentioned in column (6) and (7) of the table given below for survery/prospecting by the Directorate of Geology and Mining.

Chhattisgarh. The area thus reserved shall exclude the mineral concession granted in the reserved areas prior to the date of this notification.

TABLE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name of Mineral (3)	Name of Area (4)	Co-ordinate Point (5)	Latitude (6)	Longitude (7)	Topo sheet No. (8)
1.	Raipur	Limestone	Kesla	A	21°25' 57"	81°55' 45"	64G/15
				B	21°25' 57"	81°56' 56"	
				C	21°24' 34"	81°56' 56"	
				D	21°24' 34"	81°55' 45"	
2.	Rajnandgaon	Limestone	Tekapar-Kalkasa	A	21°22' 38"	80°56' 45"	64C/15
				B	21°22' 38"	80°58' 28"	
				C	21°21' 00"	80°58' 28"	
				D	21°21' 00"	80°56' 45"	
3.	Dantewada	Limestone	Pushpalli-Gongla	A	18°26' 00"	81°35' 00"	65F/11
				B	18°26' 00"	81°41' 00"	
				C	18°21' 00"	81°41' 00"	
				D	18°21' 00"	81°35' 00"	
4.	Janjgir-Champa	Limestone	Dhabadih-Jorilla	A	21°50' 00"	82°21' 30"	64K/5
				B	21°50' 00"	82°23' 50"	
				C	21°47' 45"	82°23' 50"	
				D	21°47' 45"	82°21' 30"	
		Dolomite	Pachori Bhalwahi	A	21°55' 00"	82°26' 15"	64K/5
				B	21°55' 00"	82°28' 00"	
				C	21°53' 15"	82°28' 00"	
				D	21°53' 15"	82°26' 15"	
5.	Bastar	Iron ore	Pawaras Amora	A	20°00' 00"	81°38' 00"	65E/9 & 10
				B	20°00' 00"	81°42' 00"	
				C	19°30' 00"	81°42' 00"	
				D	19°30' 00"	81°38' 00"	
6.	Surguja	Coal	Saidu	A	22°46' 15"	82°47' 45"	64J/13 & 14
				B	22°46' 15"	82°49' 30"	
				C	22°44' 15"	82°49' 30"	
				D	22°44' 15"	82°47' 45"	
			Ghotum and Birjapali (West of Mainpat)	A	22°47' 03"	83°06' 07"	64N/1 & N2
				B	22°47' 10"	83°09' 00"	
				C	22°43' 15"	83°09' 12"	
				D	22°43' 08"	83°06' 20"	
7.	Kanker/Bastar	Granite	Murvend-Garawandi	A	20°15' 00"	81°30' 00"	64H/12
				B	20°15' 00"	81°45' 00"	
				C	20°00' 00"	81°45' 00"	
				D	20°00' 00"	81°30' 00"	
8.	Dantewada	Granite	Bhusaras-Chingavaram	A	18°45' 00"	81°30' 00"	65F/10
				B	18°45' 00"	81°45' 00"	
				C	18°35' 00"	81°45' 00"	
				D	18°35' 00"	81°30' 00"	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Kanker	Granite	Charama-Kanker-Lakhanpuri	A B C D	20°30' 00" 20°30' 00" 20°15' 00" 20°15' 00"	81°20' 00" 81°30' 00" 81°30' 00" 81°20' 00"	64H/7

2. The notification shall remain in force for 03 years from the date of publication in the official gazette. Till this notification remains in force under the provision of rule 74(2) of Mineral Concession Rule 1960, no mineral concession shall be sanctioned within the notified reserved areas.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-27/2011/मबावि/50.— राज्य शासन, एतद्द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय, महिला एवं बाल विकास के अधीनस्थ नवगठित जिले बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालौद, कोण्डागांव, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर एवं सुकमा में विभागीय जिला कार्यालय खोलने तथा संचालन के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 3 से स्तम्भ 4 कार्यवाहक अधिकारी/नोडल अधिकारी के रूप में पदस्थ करते हुए उन्हें कार्यालय प्रमुख तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित करता है :—

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अतुल दांडेकर, परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना, भाटापारा, जिला रायपुर	जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला बलौदाबाजार.
2.	श्री ए. के. बिसवाल, परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना, मैनपुर, जिला रायपुर	जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला गरियाबंद.
3.	श्री बी. डी. पटेल, प्रभारी कार्यक्रम समन्वयक, जिला कार्यालय, दुर्ग	प्रभारी कार्यक्रम समन्वयक, जिला कार्यालय दुर्ग.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला बेमेतरा.
4.	श्री हेमराम राणा, परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना, बालौद	जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला बालोद.
5.	श्री अजय साहू परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना, कोण्डागांव	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला कोण्डागांव.

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	श्रीमती रेणु प्रकाश, जिला महिला बाल विकास अधिकारी.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, बिलासपुर.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी, जिला मुंगेली.
7.	श्री एम. के. खलखों, परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना भैयाथान (चन्द्रमेढ़ा) जिला सरगुजा.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला सूरजपुर.
8.	श्रीमती मक्सीमा तिर्की, परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना, रामचन्द्रपुर जिला सरगुजा.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला बलरामपुर.
9.	श्रीमती पुष्पांजली दादर, परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना, सुकमा	जिला महिला बाल अधिकारी, जिला सुकमा.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

संशोधन आदेश

क्रमांक एफ 1-27/2011/मबावि/50.— राज्य शासन, एतद्द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय, महिला एवं बाल विकास के अधीनस्थ नवगठित जिले बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालौद, कोण्डागांव, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर एवं सुकमा में विभागीय जिला कार्यालय खोलने तथा संचालन के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ नवीन जिलों के प्रशासनिक कार्यों के संपादन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करता है :—

क्र.	प्रस्तावित नोडल अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवगठित जिले का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अतुल दांडेकर, परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना, भाटापारा, जिला रायपुर.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला बलौदाबाजार.
2.	श्री ए. के. बिसवाल, परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना, मैनपुर, जिला रायपुर.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला गरियाबंद.
3.	श्री बी. डी. पटेल, प्रभारी कार्यक्रम समन्वयक, जिला कार्यालय, दुर्ग	प्रभारी कार्यक्रम समन्वयक, जिला कार्यालय दुर्ग.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला बेमेतरा.
4.	श्री हेमराम राणा, परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना, बालौद	जिला महिला बाल वि[illegible] अधिकारी जिला बालोद.
5.	श्री अजय साहू परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना, कोण्डागांव	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला कोण्डागांव.

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	श्रीमती रेणु प्रकाश, जिला महिला बाल विकास अधिकारी.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, बिलासपुर.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी, जिला मुंगेली.
7.	श्री एम. के. खलखों, परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना भैयाथान (चन्द्रमेढ़ा) जिला सरगुजा.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला सूरजपुर.
8.	श्रीमती मक्सीमा तिर्की, परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना, रामचन्द्रपुर जिला सरगुजा.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला बलरामपुर.
9.	श्रीमती पुष्पांजली दादर, परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना, सुकमा	जिला महिला बाल अधिकारी, जिला सुकमा.

2. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21-12-2011 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 7-53/2011/सक/26.— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 [illegible]ा संशोधित 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, अनुसूची के क[illegible]तम 02 से 3 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु कॉलम 4 में निम्नानुसार सामाजिक कार्यकर्ता को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	क्षेत्र (3)	बोर्ड के सदस्य का नाम (4)
1.	रायपुर	रायपुर	1. श्री संतराम वर्मा, रायपुर
2.	रायपुर	रायपुर	2. श्रीमती कामिनी सिंह जॉन, रायपुर

No. F 7-53/2011/SW/26.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 as amended 2006 the State Government hereby notify following Social Workers as the Member of the Juvenile Justice Board in the column 4 for the area shown in the

column No. 2 to 3 of the said Schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the District (2)	Area (3)	Name of the Member of the Board (4)
1.	Raipur	Raipur	Shri Sant Ram Verma
2.	Raipur	Raipur	Smt. Kamini Singh John

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 1-47/2011/सक/26.— राज्य शासन, एतद्द्वारा समाज कल्याण विभाग अंतर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण के अधीनस्थ नवगठित जिले कोण्डागांव, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर एवं सुकमा में विभागीय जिला कार्यालय खोलने तथा संचालन के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ नवीन जिलों के प्रशासनिक कार्यों के संपादन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री पंकज वर्मा, उप संचालक	संचालनालय, पंचायत एवं समाज सेवा, रायपुर	कार्यालय उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, जिला कोण्डागांव.
2.	श्री सनातन पण्डा, जिला अंकेक्षक	कार्यालय-पंचायत एवं समाज कल्याण, राजनांदगांव.	कार्यालय उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, जिला बेमेतरा.
3.	श्री आर. आर. उपाध्याय, जिला अंकेक्षक	जिला कार्यालय: पंचायत एवं समाज कल्याण, कवर्धा.	कार्यालय उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, जिला बालोद.
4.	श्री बी. एन. मिश्रा, सहायक संचालक	संचालनालय, पंचायत एवं समाज सेवा, रायपुर	कार्यालय उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, जिला बलौदाबाजार.
5.	श्री आर. पी. पटेल, सहायक संचालक	संचालनालय, पंचायत एवं समाज सेवा, रायपुर	कार्यालय उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, जिला गरियाबंद
6.	सुश्री शारदा जायसवाल, अधीक्षक	सम्प्रेक्षण गृह, बिलासपुर	कार्यालय उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, जिला मुंगेली.
7.	सुश्री कमला मनहरे, उप संचालक	कार्यालय-पंचायत सचिव प्रशिक्षण केन्द्र, अंबिकापुर.	कार्यालय उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, जिला सूरजपुर.
8.	श्री बेलार मिन बेक, अधीक्षक	कार्यालय-संप्रेक्षण गृह, अंबिकापुर	कार्यालय उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, जिला बलरामपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	श्री रामकरण शर्मा, अधीक्षक	कार्यालय अधीक्षक मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह, माना केम्प, रायपुर.	कार्यालय उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, जिला सुकमा.

2. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21-12-2011 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलरों को नीचे दर्शाये अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

क्रमांक	बायलर क्रमांक	छूट की अवधि
1.	एम.पी./3656	दिनांक 05-10-2011 से 04-12-2011 तक
2.	एम.पी./3657	दिनांक 29-08-2011 से 28-09-2011 तक

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 5-2/18/2011.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 16 सन् 2011) की धारा 355 के सहपठित धारा 353 तथा धारा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा राजपत्र में प्रकाशित संशोधन अधिनियम तिथि 11 मई 2011 को दिनांक 2 जनवरी 2012 से प्रभावशील माना जावे.

No. F 5-2/18/2011.—In exercise of the powers conferred by Section 355 read with Section 353 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities (Sanshodhan) Act, 2011 (No. 16 of 2011), the State Government hereby declaires the date of Published in Rajpatra. Which is 11 May, 2011 should be in force from the date 2 January, 2012.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 5-3/18/2011.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 17 सन् 2011) की धारा 37 तथा धारा 73 के सहपठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा राजपत्र में प्रकाशित संशोधन अधिनियम तिथि 11 मई 2011 को दिनांक 2 जनवरी 2012 से प्रभावशील माना जावे.

No. F 5-3/18/2011.—In exercise of the powers conferred by Section 37 and Section 73 read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation (Sanshodhan) Act, 2011 (No. 17 of 2011), the State Government hereby declaires the date of Published in Rajpatra. Which is 11 May, 2011 should be in force from the date 2 January, 2012.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 4-08/32/2006.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 112/स/आ.पर्या./2001 दिनांक 25-7-2001 के अनुक्रम में, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, पर्यावरण संरक्षण मंडल में निम्नलिखित व्यक्तियों को आदेश दिनांक से तीन वर्ष के लिए या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनीत करता है :—

1. श्री नरेश गुप्ता, अधिवक्ता, विवेकानंद नगर, रायपुर
2. श्री कुलेश्वर चंद्राकर, ग्राम अटारी, रायपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2011

क्रमांक/एफ 19-49/2011/25-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य, उर्दू अकादमी के संविधान की धारा 7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये धारा 6 के अंतर्गत निम्नानुसार पदाधिकारियों को मनोनीत करता है :—

क्रमांक	नाम/स्थान		पद
1.	श्री सलीम मेमन, चांपा-जांजगीर	—	अध्यक्ष
2.	श्री रिजवान पटवा, रायपुर	—	उपाध्यक्ष
3.	श्री मो. जहीर वल्द श्री मो. शफी, रामचंद्रपुर, सरगुजा	—	सदस्य
4.	श्री अब्दुल हफीज, मोदहापारा, रायपुर	—	सदस्य
5.	श्री गुलाम कादर, तकियापारा	—	सदस्य
6.	सुश्री कहकशा बानो, कुनकुरी, जशपुर	—	सदस्य
7.	श्री सूजी एजाज रिजवी, कोरिया	—	सदस्य
8.	श्री हाजी करीम, कुरूद	—	सदस्य
9.	श्री गुलाम नवी अंसारी, अंबिकापुर	—	सदस्य
10.	श्री अल्फाज खैरानी, महासमुंद	—	सदस्य
11.	श्री असर राजा, जगदलपुर	—	सदस्य
12.	श्री नफीस कुरैशी, बचेली, दंतेवाड़ा	—	सदस्य
13.	श्री सैफुद्दीन बबलू, बिलासपुर	—	सदस्य
14.	श्री अरिफ खान, कोसाबाड़ी, कोरबा	—	सदस्य
15.	श्रीमती नजमा खान, राजातालाब, रायपुर	—	सदस्य
16.	श्री नासीर खान, व्याख्याता, शा.बहु.उ.मा.वि., बिलासपुर	—	सदस्य
17.	डॉ. मो. खालिद अंसारी, शास. कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर	—	सदस्य
18.	डॉ. शाहिद अली, विभागाध्यक्ष, जनसंचार विभाग, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर.	—	सदस्य

2. माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, उर्दू अकादमी के चीफ पेट्रन तथा माननीय मंत्री, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग उर्दू अकादमी के पेट्रन होंगे.

3. अकादमी के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा.

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2011

क्रमांक/एफ-20-120/25-3/2011.—अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 की कण्डिका 9 के प्रावधानानुसार गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति में जनजाति सलाहकार परिषद् के निम्नांकित सदस्यों को विभाग की अधिसूचना क्रमांक/1183/25-3/2008/आजावि दिनांक 14 फरवरी, 2008 द्वारा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था :

1. माननीय श्री बलीराम कश्यप, सांसद, बस्तर
2. माननीय श्री विष्णुदेव साय, सांसद, रायगढ़
3. माननीय श्री राम विचार नेताम, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

2. उपर्युक्त सदस्यों में से क्रमांक (1) माननीय श्री बलीराम कश्यप का निधन हो जाने के कारण उनके स्थान पर मनोनीत जनजाति सलाहकार परिषद् के सदस्य माननीय श्री दिनेश कश्यप, सांसद, बस्तर को राज्य शासन, एतद्द्वारा अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 की कण्डिका 9 (छ) के प्रावधानानुसार राज्य स्तरीय निगरानी समिति का सदस्य नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2011

क्रमांक/एफ-1-21/25-2/2004.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आदिमजाति मंत्रणा परिषद् नियम, 2006 के नियम 1 के तहत ये नियम "छत्तीसगढ़ आदिमजाति मंत्रणा परिषद् नियम, 2006" (Chhattisgarh Tribal Advisory Council Rules-2006) कहलाएगा, को अतिष्ठित करते हुए उसके स्थान पर ये नियम "छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् नियम, 2006" (Chhattisgarh Tribes Advisory Council Rules-2006) कहलाएगा, स्थापित करता है तथा यह भी आदेशित करता है कि इस नियम में जहां कहीं भी "आदिमजाति मंत्रणा परिषद्" (Tribal Advisory Council) शब्दों को प्रयुक्त किया गया है, के स्थान पर "जनजाति सलाहकार परिषद्" (Tribes Advisory Council) पढ़ा जावेगा.

2. उपर्युक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2011

क्रमांक 3140 एफ 1-15/2009/38-2.—मैट्स विश्वविद्यालय ग्राम गुल्लु (आरंग) जिला रायपुर के अध्यादेश क्रमांक 37, 38, 74, 75, 76 एवं अध्यादेश क्रमांक 29 में संशोधन का, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 29 के तहत अनुमोदन किया गया है. एतद्द्वारा द्वारा जिसकी अधिसूचना दिनांक 03-09-2011 को जारी की जा रही है.

2. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन के तिथि से प्रभावशील होंगे.

No. 3141/F 1-15/2009/38-2.—The Ordinance Nos. 37, 38, 74, 75, 76 & Amendment in Ordinance No. 29 of MATS University Gillu (Arang) Raipur which have been approved under section 29 of Chhattisgarh Private University (Establishment & Operation) Act, 2005 by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur is being hereby notified on 03-09-2011.

2. The Ordinances shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.

AMENDMENT IN GENERAL EXAMINATION ORDINANCE

AMMENDMENTS IN FIRST ORDINANCES NO. 29

The following minor amendments are proposed in the First Ordinances 29 of the MATS University;

1. Change in passing marks / criterion

   Presently the Ordinance no. 29/12.1 States:

   For undergraduate students, obtaining a minimum of 40% marks in aggregate in each course including 40% in semester-end examination and 40% in the teacher's continuous evaluation separately, shall be essential for passing the course and earning its assigned credits. A candidate, who secures less than 40% of marks in a course in either of these, shall be deemed to have failed in that course.

It is proposed to be changed as given under:

For undergraduate students, obtaining a minimum of 40% marks in aggregate in each course shall be essential for passing the course and earning its assigned credits. A candidate, who secures less than 40% of marks in a course shall be deemed to have failed in that course.

2. Presently the Ordinance no. 29/12.3 states:

   For Post-graduate students, obtaining a minimum of 45% marks in each paper in the semester-end examination and 45% marks in each paper in the teacher's continuous evaluation separately shall be essential for passing the course and earning its assigned credits. A candidate, who secures less than an aggregate of 45% of maximum marks in a course in either of these, shall be deemed to have failed in that course

It is proposed to be changed as given under:

For undergraduate students, obtaining a minimum of 45% marks in aggregate in each course shall be essential for passing the course and earning its assigned credits. A candidate, who secures less than 4[illegible] of marks in a course shall be deemed to have failed in that course. For Diploma Courses the obtaining a minimum of 23% marks in aggregate in each course shall be essential for passing course and earning its assigned credits. A candidate, who secures less than 23% of marks in a course shall be deemed to have failed in that course. For PG Diploma courses the minimum pass marks for each paper will be 25% and in aggregate it should be 33%, remaining conditions being the same.

3. Change in ATKT Criteria

Presently the Ordinance no. 29/1.11 states:

ATKT Candidate means a candidate who failed in not more than two papers in the Semester Examination and is appearing in the Examination of same semester again which is organized with the next Semester Examination.

It is proposed to be changed as given under:

ATKT Candidate means a candidate who failed in not more than forty percent of the total number of Core and Core bracket papers, excluding the Practical Examination / Project Work / Viva Voce Examination in the Semester Examination and is appearing in the Examination of same semester again which is organized with the next Semester Examination. Forty percent (of the total number of Core and Core bracket papers) will be rounded off to higher side in case it is not a whole number. In case a Students fails or was absent in Practical Examination / Project Work / Viva Voce Examination, he/she may be allowed to have ATKT exam on his/her own expenses.

4. At present common papers like Hindi, English & Environmental studies are given different course codes and names by different Programs.

It is proposed that these papers be given common names even in different programs and a Unified Subject Code System to be adopted for common papers.

5. At present the Technical course are run as per the provisions of the Ordinance of MATS University.

It is proposed that the provision to govern the technical courses be as per the norms of AICTE to be added and the program of BBA LL.B. (Hons) shall be governed by the BBA LL.B. Ordinance of the MATS University.

6. At present the Ordinance No. 29/8.3 (i) states that the division of internal marks will be 80% marks of mid semester examination and 20% marks of the internal class test.

It is proposed to be changed as given under:

The division of internal marks will be 50% marks for mid semester examination and 50% marks for the internal class test.

ORDINANCE NO. 37
MASTER OF LAWS (LL.M.)

TITLE OF THE PROGRAMME	Master of Laws (LL.M.)
TENURE OF THE PROGRAMME	TWO YEARS (6 Trimesters)
TOTAL NUMBER OF SEATS	60

ADMISSION PROCEDURE

Eligible candidates should apply in the prescribed form with supporting attested documents in the University Office. Candidates for LL.M. course shall be selected by the Admission Committee consisting of the Director of the School of Law as Chairman and other members of the Faculty nominated by the Vice-Chancellor as members, based on assessment of performance at the interview to determine the aptitude for higher studies and research.

ELIGIBILITY FOR ADMISSION

A candidate for admission to LL.M. Course should have passed LL.B./B.A. LL.B. Degree or its equivalent from a recognized University and should have secured at least 45% of marks in aggregate of the maximum marks prescribed.

POSTGRADUATE COUNCIL

There shall be a Legal Education Council (LEC) constituted by the Vice Chancellor for each year with the Director of the MATS School of Law as its Chairperson and not less than two teachers of the Law School. Every teacher will submit to the LECC at the beginning of each Trimester, the outline of the course he/she is teaching, a detailed teaching plan, and the plan being adopted for evaluation of student performance. The course outline, the teaching plan as well as the evaluation scheme will be made available to the students at the beginning of the Trimester itself.

COURSE DESIGN

The LL.M. course is a two-year programme consisting of six Trimesters. The LL.M. course at MATS University is organized on the basis of the report of the Curriculum Development Committee (CDC) of UGC (University Grants Commission). All the candidates have to undergo the prescribed compulsory courses. The University may periodically revise the courses of study

COURSES OF STUDY

Trimester-I	Trimester-II
Core Course: Law and Social Transformation in India. Core Course: Indian Constitutional Law: The New Challenges Legal Education and Research Methodology	Core Course: Judicial Process Optional Course: Paper - I
Trimester-III	**Trimester-IV**
Optional Course: Paper-II Optional Course : Paper-III	Optional Course: Paper-IV Optional Course: Paper-V
Trimester – IV	**Trimester – VI**
Optional Course: Paper-VI Practical (Research Methodology, Law Teaching and Clinical Work)	Dissertation

THE UNIVERSITY OFFERS THE FOLLOWING OPTIONAL COURSES

1. International Law
2. Environmental Law
3. Corporate Law
4. Constitutional Law
5. Human Rights Law

EVALUATION/EXAMINATION

The courses indicated in the first five Trimesters, both compulsory and optional, shall carry 100 marks each, with 60 marks for written examination and 40 marks for internal assessment. The 40 marks for internal assessment may be distributed as indicated below:

i)	Class and Seminar participation	10 marks
ii)	Home Assignment	10 marks
iii)	Test(s)	15 marks
iv)	Attendance	5 marks
v)	Total	40 marks

The dissertation is equivalent to two courses and would carry a total of 200 marks - 150 marks for the dissertation and the remaining 50 marks for presentation and viva voce on the dissertation. The Examination papers and the dissertation would be evaluated by an internal (course teacher) as well as an external examiner. However, if the difference between the internal and external examiners is more than 15%, then it would be sent to a third examiner, who shall be an external examiner, and whose evaluation shall be final. The total marks for the entire course would be 1300.

Trimester	No. of Courses	Maximum Marks	Total Marks
First	3	100	300
Second	2	100	200
Third	2	100	200
Fourth	2	100	200
Fifth	2	100	200
Sixth	Dissertation	200	200
TOTAL	12		1300

However, the marks obtained by the candidates in these courses would be indicated through a seven point scale with their Grades and Values indicated as given below:

i)	≥ 70%	O [Outstanding]	7
ii)	≥ 65% - < 70%	A+	6
iii)	≥ 60% - < 65%	A	5
iv)	≥ 55% - < 60%	B+	4
v)	≥ 50% - < 55%	B	3
vi)	< 50%	F	0

Candidates who secure at least "B" grade in every course shall be declared successful. Those who secure 'F' shall be deemed to have failed. Such failed candidates may take the same course again and complete all the requirements as indicted above in the corresponding trimesters. However the candidates failing in the dissertation may resubmit the dissertation on such date as may be fixed by the Legal Education Council.

ATTENDANCE

For two-years LI.M. Course, the student should have minimum 75% attendance for appearing in the term end examination. In special cases, the Vice-Chancellor may condone 9% attendance. For further details, such as permissible absence on medical grounds, attendance Regulation may be referred.

AWARD OF THE DEGREE

A candidate shall be eligible for the award of the LL.M. degree only when he/she has completed all the prescribed courses, including the dissertation, by securing at least the minimum B grade in all courses and a minimum grade point average of 3.00 out of 7.00 within a maximum period of four years from the date of enrollment.

SUBJECTS FOR OPTIONAL AND HONOURS COURSES:

Constitutional Law Group

- ✓ Legal Philosophy including theory of Justice
- ✓ Indian Federalism
- ✓ Affirmative Action and Discriminative Justice
- ✓ Comparative Constitution
- ✓ Human Right Law and Practice
- ✓ Gender Justice and Feminist Jurisprudence
- ✓ Fiscal Responsibility & Management
- ✓ Local Self Government including Panchayat Administration
- ✓ Right to Information
- ✓ Civil Society & Public grievance
- ✓ Government Accounts & Audit
- ✓ Law on Education
- ✓ Media & Law
- ✓ Health Law
- ✓ Citizenship & Emigration Law
- ✓ Interpretation of Statutes and Principle of Legislation
- ✓ Legislative drafting

Business Law Group

- ✓ Law and Economics
- ✓ Banking Law
- ✓ Investment Law
- ✓ Financial Market Regulation
- ✓ Foreign Trade
- ✓ Law of Carriage
- ✓ Transportation Law
- ✓ Insurance Law
- ✓ Bankruptcy & Insolvency
- ✓ Corporate Governance
- ✓ Merger & Acquisition
- ✓ Competition Law
- ✓ Information Technology Law
- ✓ Direct Taxation
- ✓ Indirect Taxation
- ✓ Equity and Trust
- ✓ Law on Project Finance
- ✓ Law on Corporate Finance
- ✓ Law on Infrastructure Development
- ✓ Special Contract

International Trade Law

- ✓ International Trade Economics
- ✓ General Agreement on Tariff & Trade
- ✓ Double Taxation
- ✓ Dumping and Countervailing Duty
- ✓ Trade in Services & Emigration Law
- ✓ Cross Border Investment
- ✓ Agriculture
- ✓ Dispute Resolution
- ✓ International Monetary Fund
- ✓ Trade in Intellectual Property
- ✓ International Banking & Finance

Crime & Criminology

- ✓ Criminal Psychology
- ✓ Forensic Science
- ✓ International Criminal Law
- ✓ Prison Administration
- ✓ Penology & Victimology
- ✓ Offences Against Child & Juvenile Offence
- ✓ Women & Criminal Law
- ✓ IT Offences
- ✓ Probation and Parole
- ✓ Criminal Sociology
- ✓ Comparative Criminal Procedure
- ✓ Financial and Systemic Fraud
- ✓ White Collar Crime

International Law

- ✓ International Organization
- ✓ International Human Rights
- ✓ Private International Law
- ✓ International Environmental Law
- ✓ IMF & World Bank
- ✓ Regional Agreement & Regionalization
- ✓ UNCITRAL Model Codes
- ✓ International Labour Organization & Labour Laws
- ✓ International Dispute Resolution Bodies
- ✓ Maritime Law
- ✓ Law of the Sea and International River
- ✓ Humanitarian and Refugee Law
- ✓ International Criminal Law and International Criminal Court

Law & Agriculture

- ✓ Land Laws including Tenure & Tenancy system
- ✓ Law on Agriculture Infrastructure: seed, water, fertilizer, pesticide etc.
- ✓ Law on Agricultural Finance
- ✓ Law on Agricultural Labour
- ✓ Agricultural Marketing
- ✓ Farming & Cultivation
- ✓ Farmer and Breeders' Right
- ✓ Cooperative and Corporatization of Agriculture
- ✓ Dispute Resolution and Legal aid
- ✓ Agricultural Insurance
- ✓ Law on SMEs on agricultural processing and rural industry

Intellectual Property Law

- ✓ Patent Right creation and Registration
- ✓ Patent Drafting and Specification Writing
- ✓ IPR Management
- ✓ Copyright
- ✓ Trade Mark and Design
- ✓ Trade Secret and Technology transfer
- ✓ Other Forms of IPR creation and registration
- ✓ IPR Litigation
- ✓ IPR Transactions
- ✓ Life Patent
- ✓ Farmers and Breeders right
- ✓ Bio Diversity protection

- ✓ Information Technology
- ✓ IPR in Pharma Industry
- ✓ IPR in SMEs

*** The list is not exhaustive and subject to revision by the Board of Studies from time to time in consultation with the Legal Education Council.**

REVISION OF COURSES

The LEC may periodically revise the courses of study with the approval of the Vice Chancellor.

EXAMINATION SYSTEM:

The examination system is based on three principles, namely, (1) Measurement of the cognitive information level; (2) Assessment of application of information to a given situation and (3) Evaluation of value perceptions and proactive learning participation.

The grades will be shown in the certificate pertaining to each Trimester, and also along with the final result; additional attempts for improvement are permitted as per Rules. The Vice Chancellor shall have the power to reformulate the promotion rule. The first level of examination is taken as a continuous process, with two or three tests during the trimester as an ongoing evaluation, which may cover one-third of the examination. The ability is to be assessed through problem based tests during the trimester as an ongoing process. The proactive learning ability is to be examined through written project assignments and analytical skill which generally comprise one-fourth of the tests. The faculty, of course, can revise the basis and methodology of examination from time to time. Examination is an ongoing process integrating the teaching and learning system; the examination system is designed to be transparent.

Repeat tests for improvement are to be taken along with the students of the previous Trimester, whenever that particular subject comes up for final examination. If the candidate fails to improve in the repeat test, he/she shall not be permitted to attend repeat tests any further. (In case some improvement is shown, he may be permitted to sit in the second repeat in any subject).

The final result of a student shall be based on cumulative grade points in a ten-point scale as classified below:

Score	Grade		Grade Point
≥ 80 %	Outstanding	O	10
≥ 75 % - < 80%	High Distinction	D+	9
≥ 70% - < 75%	Distinction	D	8
≥ 65% - < 70%	High First Class	A+	7
≥ 60% - < 65%	First Class	A	6
≥ 55% - < 60%	High Second Class	B+	5
≥ 50% - < 55%	Second Class	B	4
≥ 45% - < 50%	High Average	C+	3
≥ 40% - < 45%	Average	C	2
≥ 30% - < 40%	Poor	E+	1
< 30%	Very Poor	E	0

RULES OF PROMOTION

1. There shall be no automatic promotion to the students.
2. The students are required to obtain a minimum of 4 CGPA to pass the trimester.
3. The students will be promoted to second year even if they have not secured the minimum CGPA in the 1st year but they will not be promoted to fifth trimester unless they have secured minimum 4 GPA in the subjects of first and second trimesters.
4. The students will be admitted to the ninth Trimester only if they secure 3 CGPA in their subjects of first, second, third, fourth, fifth and sixth trimesters.
5. If the students fail to secure 3 CGPA even after appearing two times (one initially & second improvement), they will be treated as year back students.

GOLD MEDAL

There shall be a University Gold medal to be awarded to the First Rank Holder in B.B.A. LL.B. (Hons.) on the basis of CGPA taking the programme as a whole.

ELIGIBILITY CRITERIA FOR GOLD MEDAL :

Eligibility Criteria for any Gold Medal to be awarded is as follows:

1. The student must have completed all courses under the Programme in one chance i.e. without any repeat or improvement in any course.
2. Improvement shall not be considered for the purpose of gold medal.

3. There is no proved charge of misconduct on the ground of violation of rules or **breach of code of conduct.**

ATTENDANCE

The five-year Course being fully residential, attendance is compulsory; and the student should have minimum 75% attendance for appearing in the term end examination. In special cases, the Vice-Chancellor may condone 9% attendance. For further details, such as permissible absence on medical grounds, attendance Regulation may be referred.

AWARD OF THE DEGREE

A candidate shall be eligible for the award of B.B.A.-LL.B. (Hons.) degree only when he/she has successfully completed all the prescribed courses, by securing at least the minimum C+ grade in all courses and a minimum grade point average of 04 out of 10.

A candidate admitted to B.A.-LL.B. (Hons.) degree programme shall have to complete all the prescribed requirements within a maximum period of seven years from the date of enrollment to be eligible for the award of the degree.

If the candidate is not successful to complete all the prescribed requirements within the stipulated period of five years, he/she may have to pay the trimester fees for the additional trimesters of his/her continuation in the degree programme.

FACULTY OF SCIENCE

ORDINANCE NO. 38

MASTER OF SCIENCE IN PHYSICS

Under Centre for Open and Distance Learning (CODL)

1. PROGRAM

The Master of Science in Physics (M.Sc. (Physics)) program shall be run under the Centre for Open and Distance Learning. The duration of M.Sc. (Physics) program shall be two years or four semesters as the case may be.

2. ELIGIBILITY FOR ADMISSION:

B. Sc. (with Mathematics, Physics and Chemistry/Electronics/Geology/Statistics)

3. ADMISSION

Admission to M.Sc. (Physics) (DE) program shall be through merit and/or, entrance test as per rules of the University.

4. COURSE CONTENTS

The contents of the course (theory and practical) of the program shall be decided by the Board of Studies from time to time. The theory and practical examinations will be conducted as annual / Ist and IInd Sem. examination and similarly for subsequent years / Semesters of the program.

5. MEDIUM

English shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in Hindi or English.

6. ACADEMIC YEAR

There will be two academic cycles - one from July to June and the other from January to December.

7. FEE STRUCTURE

The course fee will be decided by the Board of Management / Academic Council from time to time

8. PRACTICAL WORK

A student of M.Sc. (Physics) (D.E.) shall be required to perform prescribed practicals each year/semester(s). The candidates will have to obtain 36% marks in each practical examination.

9. INDUSTRIAL/PRACTICAL TRAINING

A student of M.Sc. (Physics) program shall be required to submit a project report based on the areas of his/her specialization. The project report certified by the concerned organization and the concerned coordinator/ teacher shall be submitted in duplicate to the Director (CODL) for evaluation.

10. METHOD OF INSTRUCTION

(i) The self-instructional study materials will be dispatched periodically to the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched along with the study materials.

The self-instructional study materials and assignments for internal assessments shall also be provided online for the convenience of the Distance Education Learners.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(i) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(ii) The contact programmes may be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and/or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

11. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS

The examination and evaluation and declaration of results of M.Sc. (Physics) course will be taken care of as per ordinance No. 75 of distance education program and general examination first ordinances no. 29 of the University.

FACULTY OF LIFE SCIENCE

ORDINANCE NO. 74

POST GRADUATE DIPLOMA IN HERBAL MEDICINE

Under Centre for Open and Distance Learning (CODL)

1. PROGRAM

The Post Graduate Diploma in Herbal Medicine (PGDHM) program shall be run under the Centre for Open and Distance Learning. The duration of PGDHM program shall be one year or two semesters as the case may be.

2. ELIGIBILITY FOR ADMISSION:

1. Basic Medical Graduate from any stream (i.e. MD, MBBS, BAMS, BUMS, BHMS or any other equivalent degree from recognized university/institute).

OR

2. M.Sc. (Life Science, Bio Science, Biotechnology, Microbiology, Biochemistry, Botany, Zoology, Agriculture) / B.Tech. (Bio-Tech) / B.Pharma / B.Sc. (Nursing).

3. ADMISSION

Admission to PGDHM (DE) program shall be through merit and/or, entrance test as per rules of the University.

4. COURSE CONTENTS

The contents of the course (theory and practical) of the program shall be decided by the Board of Studies from time to time. The theory and practical examinations will be conducted as annual / Ist and IInd Sem. Examination(s).

5. MEDIUM

English shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in Hindi or English.

6. ACADEMIC YEAR

There will be two academic cycles - one from July to June and the other from January to December.

7. FEE STRUCTURE

The course fee will be decided by the Board of Management / Academic Council from time to time

8. **PRACTICAL WORK**

A student of PGDHM (D.E.) shall be required to perform prescribed practicals each year/semester(s). The candidates will have to obtain 36% marks in each practical examination.

9. **INDUSTRIAL/PRACTICAL TRAINING**

A student of PGDHM program shall be required to submit a project report based on the areas of his/her specialization. The project report certified by the concerned organization and the concerned coordinator/ teacher shall be submitted in duplicate to the Director (CODL) for evaluation.

10. **METHOD OF INSTRUCTION**

(i) The self-instructional study materials will be dispatched periodically to the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched along with the study materials.

The self-instructional study materials and assignments for internal assessments shall also be provided online for the convenience of the Distance Education Learners.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(i) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(ii) The contact programmes may be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and/or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

11 **EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS**

The examination and evaluation and declaration of results of PG courses will be taken care of as per ordinance No. 75 for distance education program and general examination first ordinances no. 29 of the University.

EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS

ORDINANCE NO. 75

EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS OF PG COURSES

Under Centre for Open and Distance Learning (CODL)

1 ELIGIBILITY FOR EXAMINATION

(a) The candidates shall be admitted to the term end examination of PG course after completing the contact program and appearing in sessional test(s).

(b) A candidate after passing PG I year (I & II sem.) examination or with AT/KT of the University when gets registered for II year (III Sem.) has to complete all the concerned requirements to become eligible to appear in II year (III & IV Sem.) Examination(s).

(c) A candidate after passing PG II year (III & IV Sem.) Examination or with AT/KT of the University is registered for III year (V Sem.) has to complete all the concerned requirements to become eligible to appear in III year (V & VI Sem.) examination(s).

(d) A candidate shall be entitled for revaluation in any two papers, after each examination.

2. SCHEME OF EVALUATION

The allocation of marks shall be 70% In each theory paper and 30% in the concerned Internal Assessment. There shall be practical examinations (if any) with 70% marks on practicals and 30% marks on viva-voce related to practicals. There shall be project evaluation (if any) with 70% marks on project/dissertation and 30% on its viva-voce. The passing mark will be 40% including the theory papers, practicals, project and sessionals.

3. INTERNAL ASSESSMENT:

The Internal Assessment for each paper of PG course shall be done on the basis of sessional paper(s) to be answered by the candidates from time to time.

The marks on Internal Assessment shall be finalized by the Director (CODL) in consultation with the concerned course coordinators and/or, subject teachers on the basis of the performance. The marks so awarded shall be final.

The Internal marks shall be forwarded through the Director (CODL) to the Registrar/ Controller of Examination in due course of time for the preparation and finalization of the results.

4. PASS PERCENTAGE AND AWARD OF DIVISION

The minimum percentage of pass marks in each paper shall be:

(i) 36% in each theory papers, practicals, project work, dissertation and internal assessment(s).

(ii) The aggregate pass marks in each year / semester will be 40%.

(iii) The award of division will be declared as follows:

≥ 60%	**First Division**
≥ 48% - < 60%	**Second Division**
≥ 40% - < 48%	**Third Division**

5. EVALUATION OF PROJECT REPORT/DISSERTAION

The Evaluation of the Project Report/Dissertation (if any) shall be done by the Examiners approved by the Vice-Chancellor from the panel of Examiners submitted by Examination Committee/Board of Studies for the purpose through the Director (CODL). There shall be evaluation and viva-voce by the external & internal examiners

6. RE-APPEAR (OR AT/KT) CLAUSE

A failed candidate may appear as AT/KT student in the part concerned or in the whole examination as the case may be at a subsequent examination. However, if a candidate has secured minimum pass marks in the internal assessment and/or practicals, project/dissertation and theory papers, his/her marks will be carried over and the candidate will be exempted from re-appearing in the said internal assessment/theory papers/ practicals/ project/dissertation writing.

A candidate will be given admission to the next year (or sem.) with a condition that the candidate shall have to clear the earlier backlogs within the not more than three chances. A candidate shall have to pass at all three examinations within six years of his/her admission to first year of PG program failing which he/she will be deemed to be unit for the program and will be dropped from the roll of the admitted students.

DECLARATION OF RESULT

The Registrar/Controller of Examination of the University shall publish a list of candidates, who have passed/ promoted in the concerned PG Examination. However, in the final year Examination result of the student having backlog will be declared only when such student clears all the papers irrespective of the year (semester).

8. VALIDITY OF REGISTRATION

(i) P.G. Diploma Programs	3 years
(ii) Masters Degree and two years programs	5 years

9. GENERAL

In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. Provided further, where the Ordinance is silent for any purpose the first Ordinance No. 29 of the University Examination shall be applicable in all cases. However, on the recommendation of the Academic Council/ Board of Management/ Board of Studies, Vice Chancellor shall be competent to change the course/ system/ pattern of the examination.

The venue of examinations shall be the Main Campus of the University. However, when e-learning program is implemented, the examinations and sessional tests may be conducted online.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the District Court of Raipur only for all the students.

EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS

ORDINANCE NO. 76

EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS OF UG COURSES

Under Centre for Open and Distance Learning (CODL)

1. ELIGIBILITY FOR EXAMINATION

(a) The candidates shall be admitted to the term end examination of UG course after completing the contact program and appearing in sessional test(s).

(b) A candidate after passing UG I year (I & II sem.) examination or with AT/KT of the University when gets registered for II year (III Sem.) has to complete all the concerned requirements to become eligible to appear in II year (III & IV Sem.) Examination(s).

(c) A candidate after passing UG II year (III & IV Sem.) Examination or with AT/KT of the University is registered for III year (V Sem.) has to complete all the concerned requirements to become eligible to appear in III year (V & VI Sem.) examination(s).

(d) A candidate shall be entitled for revaluation in any two papers, after each examination.

2. SCHEME OF EVALUATION

The allocation of marks shall be 70% in each theory paper and 30% in the concerned Internal Assessment. There shall be practical examinations (if any) with 70% marks on practicals and 30% marks on viva-voce related to practicals. There shall be project evaluation (if any) with 70% marks on project and 30% on its viva-voce. The passing mark will be 33% including the theory papers, practicals, project and sessionals.

3. INTERNAL ASSESSMENT:

The Internal Assessment for each paper of UG course shall be done on the basis of sessional paper(s) to be answered by the candidates from time to time.

The marks on Internal Assessment shall be finalized by the Director (CODL) in consultation with the concerned course coordinators and/or, subject teachers on the basis of the performance. The marks so awarded shall be final.

The Internal marks shall be forwarded through the Director (CODL) to the Registrar/ Controller of Examination in due course of time for the preparation and finalization of the results.

4. PASS PERCENTAGE AND AWARD OF DIVISION

The minimum percentage of pass marks in each paper shall be:

(i) 33% in each theory papers, practicals, project work and internal assessment(s).

(ii) The aggregate pass marks in each year (or semester) will be 36%.

(iii) The award of division will be declared as follows:

≥ 60%	**First Division**
≥ 48% - < 60%	**Second Division**
≥ 36% - < 48%	**Third Division**

5. EVALUATION OF PROJECT REPORT

The Evaluation of the Project Report/Dissertation (if any) shall be done by the Examiners approved by the Vice-Chancellor from the panel of Examiners submitted by Examination Committee/Board of Studies for the purpose through the Director (CODL). There shall be evaluation and viva-voce by the external & internal examiners

6 RE-APPEAR (OR AT/KT) CLAUSE

A failed candidate may appear as AT/KT student in the part concerned or in the whole examination as the case may be at a subsequent examination. However, if a candidate has secured minimum pass marks in the internal assessment and/or practicals, project and theory papers, his/her marks will be carried over and the candidate will be exempted from re-appearing in the said internal assessment/theory papers/ practicals/ project/dissertation writing.

A candidate will be given admission to the next year (or sem.) with a condition that the candidate shall have to clear the earlier backlogs within the not more than three chances. A candidate shall have to pass at all three examinations within six years of his/her admission to first year of UG program failing which he/she will be deemed to be unit for the program and will be dropped from the roll of the admitted students.

7. DECLARATION OF RESULT

The Registrar/Controller of Examination of the University shall publish a list of candidates, who have passed/ promoted in the concerned UG Examination. However, in the final year Examination result of the student having backlog will be declared only when such student clears all the papers irrespective of the year (semester).

8. VALIDITY OF REGISTRATION

(i) One year diploma/ Programs	3 years
(ii) Three years Bachelor Program	7 years

9. GENERAL

In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. Provided further, where the Ordinance is silent for any purpose the first Ordinance No. 29 of the University Examination shall be applicable in all cases. However, on the recommendation of the Academic Council/ Board of Management/ Board of Studies, Vice Chancellor shall be competent to change the course/ system/ pattern of the examination.

The venue of examinations shall be the Main Campus of the University. However, when e-learning program is implemented, the examinations and sessional tests may be conducted online.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the District Court of Raipur only for all the students.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बीजापुर, दिनांक 4 जनवरी 2012

क्रमांक/5095/भू-अर्जन/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बीजापुर	भोपालपटनम	तिमेड़	11.16	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जगदलपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-16 का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुम्हरावण्ड	0.92	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कुम्हरावण्ड उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्रमांक क/भू-अर्जन/04/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	मारकेल	0.82	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	बेदारमुण्डा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2011

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	चपका	0.22	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई योजना अंतर्गत माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी. कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 29 दिसम्बर 2011

क्रमांक/5360/भू-अर्जन/01/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	गीदम	8.987	कार्यपालन अभियन्ता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, जगदलपुर.	सामान्य आवास योजना के लिये भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2011-12/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	कुवांपाली	14.90	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	मोहतरा वितरण नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पंडरापथरा	13.418	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	आमामुडा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

क्रमांक/18/अ-82/2009-10/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	मंगला प.ह.नं. 21	0.18	आयुक्त, नगर पालिक निगम	सिवरेज पम्पिंग स्टेशन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

क्रमांक 4/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	देवगांव प.ह.नं. 38	3.94	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	देवगांव व्यपवर्तन योजना दायीं तट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	पाराघाट प.ह.नं. 38	2.20	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	हिर्री एनीकट योजना पहुंच मार्ग.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

रा. प्र. क्र./1/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	वाड्रफनगर	रघुनाथ नगर	20.43	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 02, रामानुजगंज, जिला-सरगुजा छ.ग.	बड़ारघुनाथनगर जलाशय (उर्फ फांटी बांध) के शीर्ष कार्य, डूबक्षेत्र, नहर एवं वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./02/अ-82/वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	मांढर प.ह. नं. 22	817/2 818 766/15	0.546 0.380 0.433	आयुक्त, उद्योग संचालनालय, रायपुर.	आद्योगिक प्रयोजन हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			766/10	0.454		
			766/14	0.336		
			814/2	0.615		
			820	0.267		
			819/2	0.105		
			766/16	0.097		
			812	0.251		
		योग	**9**	**3.484**		

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2012

क्रमांक 46/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 8/अ. 82 वर्ष 2011-12—**चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न** अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	बरौदा प. ह. नं. 72/15	1633	0.17	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नई राजधानी में रेल्वे लाईन हेतु.
		योग	**1**	**0.17**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2012

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक/48/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 53 अ/82 वर्ष 2011-12—छ.ग. राजपत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2011 के पृष्ठ क्र. 1887 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के धारा 4 (1) के अंतर्गत जिला रायपुर, तहसील अभनपुर, ग्राम खण्डवा में नई राजधानी योजना के अंतर्गत नया रायपुर विकास के लिए योजना क्षेत्र हेतु अधिसूचना प्रकाशित हुआ है. उक्त अधिसूचना में खसरा नंबर 12/1 रकबा 0.08 हे., खसरा नंबर 13 रकबा 0.70 हे. का प्रकाशन त्रुटिवश हो गया है. उक्त के स्थान पर खसरा नंबर 12/1 रकबा 0.70 हे. तथा खसरा नंबर 13 रक़बा 0.08 हे. पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-बुढ़ाडांड, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-106.687 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
242/2क	0.097
238/3, 238/4	0.222
239/3	0.223
240/1ख	0.057
254/2	0.028
304	0.242
346/1ख	0.283
183/1	0.016
188/1क	0.142
180/1	0.199
180/5	0.049
189/1क	0.032
189/1ख	0.114
194/1	0.081
195/1	0.081
196/1	0.384
258/1	0.040
258/8	0.082
329/1	0.773
188/2	0.101
330/1	0.056
331/1	0.064
332/1	0.137
332/8	0.363
183/10	0.032
245/2	0.182
220/1क, 244/1	0.052
240/2	0.040
241	0.061
430/15	0.466
430/16	0.445
430/17	0.607
430/19	0.324
309/1	0.202
310/1	2.092
311/1	0.170
199/1क	0.210
199/1ग	0.125
335/1क	1.104
335/1ग	0.040
242/2घ	0.061
254/1	0.008
240/1ग	0.024
223/2	0.210
312/1	0.226
312/2	0.226
322/2	0.312
322/3	0.178
183/3	0.599
188/1ख	0.101
189/3	0.061
189/11	0.057
189/13	0.101
194/5	0.081
189/6	0.346
194/8	0.101
194/10	0.049
196/4	0.100
329/5	0.113
332/4	0.040
419/2च	0.061
261/1	0.016
261/3	0.053
316/2	0.162
347/1	0.364
390/5	0.960

(1)	(2)	(1)	(2)
317/3	0.065	319	0.607
431/2	0.065	257/1	0.073
431/3	0.282	311/2ख	0.032
317/1	0.100	335/1ख	1.112
416/2	0.202	223/2	0.405
268/2	0.081	242/1	0.855
261/2ख	0.020	242/ग	0.032
316/1ख	0.049	242/3	0.057
321/2ख	0.040	243	0.384
349/2	0.121	183/9	0.040
261/2ग	0.024	183/14	0.243
261/4	0.049	186/4	0.040
347/3	0.142	188/1च	0.101
349/3	0.121	189/9	0.507
433/1घ	0.133	196/6	0.474
436/3	0.065	196/7	0.121
435	0.081	330/2	0.061
433/1क	0.145	332/7	0.101
436/1	0.251	322/1	0.162
438/1	0.121	316/1क	0.081
403/4	0.101	349/1	0.121
404/3	0.162	348/1	0.081
421	0.121	226/3	0.162
229	0.186	227/3, 228/3	0.324
337	0.028	314	0.332
397/2	0.170	433/4ग	0.061
398/2	0.300	436/19	0.101
260/1ख	0.081	307/1	0.405
220/3, 244/3	0.045	223/1, 224	0.858
246/2	0.316	430/22	0.101
405, 406, 411	1.064	231	0.134
430/14	0.769	232/1	0.200
415/8	0.243	233	0.117
340/5	0.405	232/2	0.432
422/2क	0.134	234/1	0.494
419/2ख	0.090	237	0.138
428/2क	0.121	237/1	0.024
419/2घ	0.020	268/1	0.016
419/2छ	0.162	485/1	0.502
192/2	0.134	189/8	0.405
259/1	0.162	195/6	0.121
259/2	0.032	196/5	0.506
200/2	0.227	258/6	0.052
200/3	1.457	329/7	0.146
309/2	0.333	332/6	0.040
310/2	0.448	183/8	0.244
310/3	0.324		

(1)	(2)	(1)	(2)
183/5	0.221	331/2	0.057
183/13	0.116	183/11	0.162
183/12	0.116	221/1	0.547
189/5	0.162	318/1क	0.453
186/2	0.202	320/5	0.061
188/1घ	0.142	402	0.073
258/5	0.073	407/5	0.255
332/3	0.391	410/4	0.143
336	0.024	436/4	0.049
194/7	0.081	342/3	0.257
180/3	0.020	342/4	0.130
409	0.093	342/5	0.125
195/3	0.061	343/4	0.238
196/3	0.242	344/1ग	0.291
258/3	0.040	422/1ख	0.089
283/6	0.283	428/2ख	0.129
180/4	0.020	222/1	0.959
186/3	0.256	256	0.154
187	0.154	394/2	0.174
417/2ख	0.081	192, 193, 194/2	0.356
235	0.170	194/3	0.069
415/7	0.890	194/4, 195/2	0.178
417/1	0.182	225/1ख	0.312
430/26	0.146	320/2	0.202
428/2ग	0.121	320/4	0.344
428/2च	0.162	403/2	0.162
428/2छ	0.057	407/4	0.101
419/2क	0.421	408/3	0.210
390/3क	1.076	410/3	0.218
414	0.729	416/1	0.300
422/5	0.194	423/1क	0.061
321/1ख	0.239	423/1ग	0.061
238/1ख, 238/2ख	0.101	432	0.308
239/1ख	0.142	482/1	0.324
239/1घ	0.202	390/8	2.274
308	0.713	436/5	0.170
327	0.125	436/6	0.154
232/3	0.269	436/8	0.180
321/2क	0.183	260/1क	0.259
189/4	0.109	183/1ग	0.032
183/4	0.057	328	0.320
186/1	0.061	338	0.214
189/12	0.057	198/1	0.120
180/2	0.032	257/2	0.049
194/6	0.121	199/1ख	1.721
195/4	0.150	325/2, 326	2.144

(1)	(2)
238/1क, 238/2क	0.101
239/1क	0.142
239/1ग	0.202
315	1.922
316/1ख	0.222
324	0.700
220/5, 244/5	0.049
243/2	0.016
243/3	0.240
344/1ख	0.160
424/2	0.129
425	0.417
427	0.745
428/1	0.405
428/3	0.028
428/4	0.315
428/5	0.429
429	1.267
430/1, 430/3	0.318
430/8	0.129
430/9	0.060
430/10	0.069
430/20	0.769
430/21	0.202
430/23	0.109
430/24	0.040
430/25	0.093
240/1क	0.028
261/2क	0.024
419/2ग, 419/2ङ	0.182
422/1क	0.409
424/1	0.057
426	0.174
428/2क	0.166
428/2ङ	0.142
317/2	0.088
317/4	0.064
431/4	0.336
431/5	0.176
183/7	0.201
188/1ङ	0.129
194/9	0.291
195/5	0.081
329/6	0.113
331/3	0.057
332/5	0.089
332/10	0.162
189/7	0.161
439/2	0.202
433/1ग	0.573
404/2	0.162
225/1क	0.312
433/5	0.219
227/1, 228/1	0.210
227/4, 228/4	0.364
325/3	0.125
436/18क	0.142
433/4क	0.040
325/1क	0.129
306/2ख	0.202
318/2	1.020
320/1	0.202
320/3	0.202
320/6	0.121
415/3	0.717
415/4	0.405
415/5	0.521
484	0.052
390/9	0.930
390/11	0.142
390/12	0.526
434	0.283
437/1क	0.393
350/2	0.304
347/2	0.142
348/2	0.304
350/3	0.162
415/6	0.097
7/6	1.680
313	0.040
346/1क	0.955
340/6	0.405
342/1	0.100
343/1	0.092
344/1क	0.035
485/3	0.045
332/2	0.032
332/9	0.020
258/4	0.036
401	0.251
222/2	0.207
255	0.070
257/3	0.101

(1)	(2)
341	0.316
226/2	0.142
227/2, 228/2	0.567
325/1ख	0.130
433/3ख	0.061
433/4ख	0.061
437/1ख	0.121
395	0.105
397/1	0.324
430/7, 485/2	0.497
430/28	0.178
267/2	0.101
344/2, 345	0.376
318/1ख	0.207
390/23	0.405
436/16	0.162
436/17	0.049
436/7क	0.405
436/9	0.332
340/1ख	0.526
412/2	0.866
196/2	0.049
418	0.299
412/2	0.866
420	0.057
422/2ख	0.324
430/12	0.020
430/27	0.121
436/11ख	0.283
329/3	0.016
332/1/2	0.064
350/1	0.142
220/4, 244/4	0.209
433/1ख	0.140
321/1क	0.121
258/7	0.040
236	0.332
242/2ख	0.061
323/1	0.222
430/6	0.121
436/14	0.032
436/15	0.202
430/4	0.405
430/5	0.405
430/11	0.534
339	0.304
340/1क	2.578
412/1	0.162
413	0.032
422/2क	0.134
436/11क	0.283
430/29	0.020
433/6	0.121
439/1	0.292
438/2	0.280
451	0.182
483	0.408
390/3ख	0.121
404/1	0.287
403/1	0.061
403/3	0.105
407/1, 408/1, 410/1	0.307
407/2, 408/2, 410/2	0.113
407/3	0.142
410/5	0.138
410/6	0.020
415/2	0.304
416/3	0.243
419/1	0.004
423/1ख	0.081
346/1घ	0.097
346/1ग	0.113
432	0.280
430/18	0.607
योग 419	106.687

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरारी नाला जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनन्द, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 37 अ./82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दुलना, प. ह. नं. 162/47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.175 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	699	0.23
	701	0.07
	639	0.01
	644	0.01
	643	0.01
	645	0.02
	638	0.12
	646	0.15
	583	0.01
	628	0.02
	629	0.04
	647	0.04
	649	0.16
	650	0.15
	702	0.35
	703	0.08
	704	0.03
	706	0.06
	705	0.04
	707	0.06
	712	0.02
	713	0.155
	720	0.34
योग	23	2.175

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दुलना व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 39 अ./82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-पलौद, प. ह. नं. 21.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	402	0.02
योग	1	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नवागांव, पलौद, उपरवारा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2012

क्रमांक 47/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 49 अ./82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-खपरी, प. ह. नं. 71/16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.74 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	24/1	0.06
	67/1	0.02
	67/2	0.03
	68	0.10
	101	0.11
	416/1	0.42
योग	6	0.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत विकास योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

रा. प्र. क्र./1/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-रघुनाथनगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-20.43 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
280	0.02
329	0.04
332	0.06
388	0.08
389	0.04
459/1	0.09
469	0.08
470	0.24
464	0.22
466	0.07
484/1	0.03
488/2	0.12
488/4	0.01
488/10	0.03
488/11	0.02
524	0.01
527	0.23
511/1	0.04
511/2	0.02
510	0.02
512	0.11
532/1	0.08

(1)	(2)
532/2	0.07
532/3	0.08
533	0.01
531	0.20
511/3	0.03
581	0.06
573	0.08
582	0.06
583	0.13
587	0.05
586	0.30
585	0.05
627/1	0.05
627/2	0.05
628	0.02
631	0.04
605	0.04
607/2	0.01
635/1	0.05
635/2	0.05
655/1	0.06
655/2	0.06
655/3	0.06
653	0.07
654/1	0.08
656	0.16
667	0.01
1255	0.03
1260	0.05
1261	0.91
1262	0.96
1263	0.04
1264	0.20
1265	1.10
1266	0.12
1267	0.30
1268	0.65
1269	0.18
1259	0.23
1270	0.04
1273	0.74
1274	0.29
1275	0.14
1277	0.41
1279	0.33
1280	0.19
1281	0.28
1305	0.08
1309	0.85
1311/1	0.42
1311/2	0.34
1321/1	1.06
1321/2	1.12
1321/3	0.22
1322	0.30
1323	0.20
1324	0.45
1325	0.70
1327	0.77
1328	0.16
1329	1.03
1330	0.58
1332	0.66
1335/1526/1	0.22
1335/1526/2	0.11
1402/1	0.30
1402/2	0.08
योग 89	20.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़ा रघुनाथ नगर जलाशय (फाटी बांध) के शीष कार्य, डूब क्षेत्र, नहर एवं स्पिल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 8 नवम्बर 2011

क्रमांक 664/क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धमतरी

(ख) तहसील-धमतरी

(ग) नगर/ग्राम-दोनर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.71 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1408	0.12
	1409	0.01
	1411	0.02
	3135	0.12
	3137	0.01
	3138	0.04
	3139	0.02
	3154	0.03
	3155	0.07
	3156	0.05
	3157	0.05
	3163	0.01
	3164	0.11
	3165	0.05
योग	14	0.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महानदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2011/सा-सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-मुक्ता, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.60 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1726/1, 1727, 1728	0.04
1729	0.02
1730	0.04
1731	0.05
1732	0.06
1737	0.08
1738	0.05
1739/1	0.01
1739/2	0.02
1739/3	0.02
1740	0.05
1741, 1742/1	0.06
1742/2, 1743	0.05
1744	0.10
1746	0.04
1747/1	0.05
1751	0.07
1752	0.07
1754/1	0.02
1754/2	0.02

	(1)	(2)
	1755	0.04
	1760	0.08
	1761	0.01
	1773	0.10
	1766	0.05
	1767/1	0.05 1/2
	1767/2	0.05 1/2
	1767/3	0.05 1/2
	1767/4	0.05 1/2
	1774	0.07
	1775	0.05
	1776	0.04
	1777	0.02
योग	33	1.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेमरिया मुक्ता मार्ग पर सोन नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 नवम्बर 2011

क्रमांक 303.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-मुरलीडीह, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.735 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1, 10	0.121
9	0.061
12	0.004
20/1	0.109
22, 71	0.081
23	0.081
24/1	0.053
24/2	0.045
28/2	0.089
194	0.097
195	0.028
242	0.089
243	0.053
244/1	0.174
247	0.016
248	0.065
249, 261	0.069
250	0.081
260/1	0.012
260/2	0.073
262	0.020
270	0.243
271	0.077
272	0.069
279	0.040
635	0.028
636/1, 636/2	0.032
637	0.032
638	0.057
639	0.040
641	0.141
642/1	0.057
726/3	0.008
726/4	0.004
726/5	0.004
741	0.101
742	0.016
743	0.073
746	0.008
747	0.101
748	0.057
750	0.134
828/2	0.012
830	0.020
931/2	0.048
832	0.057
833	0.008
843/3	0.060

	(1)	(2)
	844/1	0.089
	844/2	0.020
	845, 846	0.113
	848	0.101
	849	0.149
	852	0.169
	922	0.057
	923/1	0.089
योग	56	3.735

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करौवाडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना सक्ती, मुख्यालय जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 नवम्बर 2011

क्रमांक 304.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खजुरानी, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.437 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	337/1	0.032
	337/13	0.069
	338/1	0.061
	338/2	0.085
	338/3	0.085
	339	0.061
	340	0.061
	341	0.012
	345	0.057
	346	0.049
	347/2	0.061
	350	0.012
	351	0.053
	352	0.012
	353/1	0.069
	353/2	0.012
	354	0.101
	356/2	0.040
	356/3	0.081
	421	0.097
	422	0.020
	432	0.061
	433	0.085
	440	0.081
	441	0.040
	442	0.040
योग	26	1.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करौवाडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना सक्ती, मुख्यालय जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्रमांक 305.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-पोता, प. ह. नं. 06

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	19/8	0.016
योग	1	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोता माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्रमांक 306.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-करौवाडीह, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.229 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
114	0.032
115	0.069
116	0.008
121/1	0.036
122	0.089
124	0.065
125/2	0.024
128	0.069
129	0.004
130/1	0.020
130/2	0.020
137	0.040
138/1	0.040
144	0.113
145	0.032
146	0.065
147/1	0.016
148	0.032
149/1	0.008
213/1	0.125
214/2	0.024
215	0.012
221/2	0.004
222	0.061
297	0.153
298	0.008
300/1	0.040
300/2	0.040
300/3	0.040
301	0.032
304	0.036
305	0.024
306	0.073
307/1, 308/2	0.109
307/2	0.036
507	0.048
517	0.032
518/1	0.008
521	0.040
522	0.073
523	0.040
524	0.008
536	0.012
537	0.077
538/1	0.057
539	0.040
544/1	0.008

(1)	(2)
545	0.073
546/1	0.028
546/2	0.028
546/4	0.045
547	0.077
550/2	0.024
550/3	0.008
550/4	0.040
550/5	0.032
551	0.004
552	0.081
556/2	0.162
562/1	0.069
562/2	0.032
563/2ख	0.008
573/1	0.057
573/2	0.061
574/1	0.057
574/2	0.032
576	0.004
577/1	0.036
578/3	0.048
580/1	0.048
580/2	0.048
582/1	0.081
583	0.004
योग 73	3.229

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करौवाडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

क्रमांक 307.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सरजुनी, प. ह. नं. 82

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.497 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.109
1/2	0.008
67	0.081
7	0.097
25	0.036
64	0.040
24	0.049
66/1	0.077
योग 08	0.497

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तिउर उप वितरक नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्रमांक 310.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-टेमर, प. ह. नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	787/2	0.057
	862/1	0.040
योग	02	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सपनईपाली माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 दिसम्बर 2011

क्रमांक 312.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-डभरा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	915/2	0.012
योग	01	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डभरा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना सक्ती, मुख्यालय जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 दिसम्बर 2011

क्रमांक 313.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-डभरा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.846 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2574	0.057
2575/2ख	0.028
2575/3क	0.020
2578	0.061
2579/1	0.085
2579/2	0.012
2591/5	0.061
2592/4	0.057
2594	0.069
2600/1	0.016
2600/2	0.028
2606/1	0.077
2607/6	0.024
2607/7	0.024
2615/1	0.036
2615/4	0.012
2615/5	0.053
2617/1क	0.097
2617/1ग	0.012
2620/1	0.032
2620/2	0.061
2621/1	0.036
2624	0.109
2625	0.004

	(1)	(2)
	2626	0.105
	2628/3	0.097
	2643/1	0.036
	2668/16	0.008
	2701/2	0.077
	2702	0.036
	2703/3	0.081
	2704	0.008
	2705/1	0.170
	2706/2	0.032
	2708/2	0.097
	2708/3	0.028
योग	36	1.846

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकराली माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 दिसम्बर 2011

क्रमांक 314.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कटौद, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.057 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1714	0.057
योग	1	0.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटौद ब्रांच माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 दिसम्बर 2011

क्रमांक 315.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-डभरा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.026 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	862/3	0.026
योग	1	0.026

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डभरा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना सक्ती, मुख्यालय जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 दिसम्बर 2011

क्रमांक 316.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम. 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-टेमर, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	444/8	0.085
योग	1	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चारपारा माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

क्रमांक 317.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बोड़ासागर, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	222/11	0.028
	248/2, 3	0.032
योग	2	0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोड़ासागर माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर

निर्मला छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2012

क्रमांक/स्था./एक/श्र.आ./2011/62.—मैं आर. सी. सिन्हा, श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473/7258/16, दिनांक 24 जनवरी, 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्न सारिणी के स्तम्भ क्रमांक 2 में दर्शाये गये व्यक्तियों को सारिणी के स्तंभ

क्रमांक (3) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करता हूं :—

अ. क्र.	निरीक्षक का नाम	अधिकार क्षेत्र
1.	श्री सोनल कुमार गजभिये, श्रम उप निरीक्षक	संपूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थानों के लिए जिन पर यह अधिनियम लागू होता है.
2.	श्री विकास दुबे, श्रम उप निरीक्षक	संपूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थानों के लिए जिन पर यह अधिनियम लागू होता है.

आर. सी. सिन्हा,
श्रमायुक्त.

कार्यालय आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर (छ.ग.)
(बी-99, मेन रोड, समता कालोनी, डॉ. पांडे नर्सिंग होम के पास)

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2011

क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा./2011/1446.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय रायपुर द्वारा माह फरवरी 2009 में आयोजित "छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा, भाग-एक एवं भाग-दो" में सम्मिलित निम्नानुसार कर्मचारियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

भाग-एक

उत्तीर्ण कर्मचारी

क्र.	परीक्षा अनुक्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम
1.	101	श्री न्याय मूर्ति लहरे	सहायक संपरीक्षक
2.	102	श्री अजय बघेल	सहायक संपरीक्षक
3.	103	श्री रामाशंकर भारद्वाज	सहायक संपरीक्षक
4.	104	श्री सतीश चौधरी	सहायक संपरीक्षक
5.	111	श्री विजय कुमार सिंह	सहायक ग्रेड-2

भाग-दो

उत्तीर्ण कर्मचारी

क्र.	परीक्षा अनुक्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम
1.	204	श्री जगदीश राम तारम	सहायक संपरीक्षक

बी. एस. अनंत,
आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 3 दिसम्बर 2011

क्रमांक 418/स्टेनो/2011.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/9103/अधीक्षक/2011 कोरबा दिनांक 03-09-2011 के द्वारा जारी कार्य बंटन आदेश में आंशिक संशोधन पश्चात् अपर कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर के मध्य कार्य विभाजन किया जाता है :—

1. **श्री अभय कुमार मिश्रा (रा.प्र.से.)**
   अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कोरबा
   1. नोडल अधिकारी — राजस्व आपदा प्रबंधन शाखा
   2. नोडल अधिकारी — सामान्य निर्वाचन शाखा/स्थानीय निर्वाचन शाखा
   3. नोडल अधिकारी — कृषि एवं उद्यान
   4. नोडल अधिकारी — अंतव्यवसायी
   5. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी (शहरी क्षेत्र के लिए)
   6. प्रभारी अधिकारी — सांख्य लिपिक शाखा, अल्प बचत शाखा
   7. लायसेंस
   8. पासपोर्ट
   9. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

2. **श्री एस. आर. साहू, अपर कलेक्टर, कोरबा**
   1. वित्त एवं स्थापना का सम्पूर्ण प्रभार
      अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश, वेतन वृद्धि तथा सामान्य भविष्य निधि के आंशिक अंतिम विकर्षण तथा अग्रिम के स्वीकृति के प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित करना.
   2. नोडल अधिकारी — भू-अभिलेख शाखा
   3. नोडल अधिकारी — महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा
   4. संपूर्ण जिले के भू-अर्जन/भूमि बंटन
   5. नोडल अधिकारी — आदिमजाति कल्याण विभाग कोरबा
   6. अपर कलेक्टर (नजूल)
   7. नगर सेना
   8. कोरबा/कटघोरा अनुभाग के अंतर्गत शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व अपील/पुनरीक्षण पर प्रकरणों का निराकरण (भू-विक्रय प्रकरणों को छोड़कर)
   9. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

3. **श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त कलेक्टर**
   1. नगर दण्डाधिकारी — थाना बालको/कोरबा/दर्री/कुसमुण्डा क्षेत्र के लिए
   2. प्रभारी अधिकारी वित्त/स्थापना
   3. प्रभारी अधिकारी पुनर्वास शाखा
   4. नजूल अधिकारी
   5. विशेष कक्ष
   6. जिला योजना एवं सांख्यिकी शाखा
   7. प्रतिलिपि शाखा
   8. अभिलेख कोष्ठ राजस्व/आंग्ल
   9. नोडल अधिकारी ब्रिक्स
   10. आवक जावक
   11. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
   12. दंगा पीड़ित 1984
   13. जिला शहरी विकास अभिकरण
   14. सूचना के अधिकार

15. सहायक अधीक्षक (विविध)
16. 20 सूत्रीय
17. पर्यावरण शाखा
18. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य विभाग
19. नोडल अधिकारी, गृह निर्माण मण्डल
20. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

4. **श्री एस. एन. राम, डिप्टी कलेक्टर**
प्रभारी अधिकारी
1. सामान्य निर्वाचन
2. स्थानीय निर्वाचन
3. भू-अभिलेख
4. राजस्व मोहर्रिर
5. प्रभारी अधिकारी सहायक अधीक्षक राजस्व
6. नवोदय विद्यालय
7. कम्प्यूटर शाखा
8. राजस्व आंकिक
9. सिटीजन हेल्प लाइन
10. मत्स्य, कृषक विकास अभिकरण
11. अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम
12. प्रपत्र, लेखन सामग्री एवं मुद्रण
13. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

5. **श्री बी. आर. जुर्री, डिप्टी कलेक्टर**
1. प्रभारी अधिकारी वाचक कलेक्टर
2. प्रभारी अधिकारी जिला नाजिर
3. प्रभारी अधिकारी सत्कार शाखा
4. प्रभारी अधिकारी भाड़ा नियंत्रक
5. प्रभारी अधिकारी शिकायत/सतर्कता/विभागीय जांच
6. प्रभारी अधिकारी जनदर्शन/जनसम्पर्क
7. प्रभारी अधिकारी व्यवहारवाद
8. प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ लिपिक, अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक
9. प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने वाले प्रकरणों की जांच
10. सहायक अधीक्षक सामान्य, पुरातत्व/पर्यटन, आर.बी.सी. के प्रकरण, शोल्शियसम फंड/संजीवनी
11. आपदा एवं राहत शाखा
12. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

6. **श्री आर. जी. साहू, संयुक्त कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (रा.)**
एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोरबा

01. **राजस्व**
1. अनुविभागीय अधिकारी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत तहसील कोरबा एवं करतला का क्षतिपूर्ति भुगतान
3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम में अंतर्गत सक्षम अधिकारी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
5. रेट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
9. व्यपवर्तन प्रकरण (धारा 172 के तहत C.G.L.R.C.)

02. **आपराधिक**

1. कोरबा एवं करतला तहसील के लिए अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा-133 एवं धारा-145 C.G.L.R.C.) प्रकरणों का निराकरण सहित
2. कोरबा एवं करतला तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्रों के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

03. **विविध**

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसंपर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यो का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.
2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.
3. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

7. **श्री जी. आर. राठौर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कटघोरा**

01. **राजस्व**

1. अनुविभागीय अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा का क्षतिपूर्ति भुगतान.
3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम में अंतर्गत सक्षम अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
5. रेट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
9. व्यपवर्तन प्रकरण (धारा 172 के तहत C.G.L.R.C.)

02. **आपराधिक**

1. तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा-133 एवं धारा-145 C.G.L.R.C.) प्रकरणों का निराकरण सहित
2. कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्रों के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

03. विविध

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसंपर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.
2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.
3. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

संयोजन अधिकारी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	संयोजन अधिकारी का नाम
1.	श्री अभय कुमार मिश्रा, अपर कलेक्टर	श्री एस. आर. साहू, अपर कलेक्टर
2.	श्री एस. आर. साहू, अपर कलेक्टर	श्री अभय कुमार मिश्रा, अपर कलेक्टर
3.	श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त कलेक्टर	श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर
4.	श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर	श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त कलेक्टर
5.	श्री बी. आर. जुर्री, डिप्टी कलेक्टर	श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर
6.	श्री रामजी साहू, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा	श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर
7.	श्री जी. आर. राठौर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा	श्री बी. आर. जुर्री, डिप्टी कलेक्टर

आर. पी. एस. त्यागी,
कलेक्टर.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2011

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2011-12/4880.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7574 रायपुर, दिनांक 28-02-2011 द्वारा श्री के. के. भद्रावले, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) को कृषि उपज मण्डी समिति बेमेतरा जिला-दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छ.ग. शासन कृषि विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश दिनांक 05-08-2011 द्वारा श्री के. के. भद्रावले को निलम्बित किये जाने के परिणामस्वरूप कलेक्टर जिला-दुर्ग के आदेश क्रमांक 13490/वरि.लि.-3/2011 दिनांक 24-10-2011 द्वारा श्री सी. पी. हरनखेड़े, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी को कृषि उपज मण्डी समिति बेमेतरा का भारसाधक अधिकारी नामांकित करने के फलस्वरूप श्री हरनखेड़े द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1976) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री के. के. भद्रावले, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) के स्थान पर सी. पी. हरनखेड़े, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बेमेतरा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2011

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2011-12/5086.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/1833-1834 रायपुर, दिनांक 21-06-2011 द्वारा श्रीमती आरती वासनिक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मण्डी समिति भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर वित्त शाखा जिला-रायपुर के कार्य विभाजन आदेश क्रमांक/क/विलि/छै-2/2011/437 दिनांक 28-11-2011 द्वारा श्री राजेश नशीने, डिप्टी कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भाटापारा नियुक्त किया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्रीमती आरती वासनिक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के स्थान पर श्री राजेश नशीने, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भाटापारा को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/5614.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7717 रायपुर, दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री ए. आर. ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर कुनकुरी को कृषि उपज मण्डी समिति कुनकुरी, जिला-जशपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-जशपुर के पत्र क्रमांक/762/स्टेनो/2011 जशपुर, दिनांक 23-12-2011 द्वारा श्री ध्रुव द्वारा दिनांक 31-12-2011 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्ति होने की सूचना प्रदान करने के साथ ही उनके स्थान पर श्री के. एस. मण्डावी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को मण्डी समिति कुनकुरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री ए. आर. ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर कुनकुरी के सेवानिवृत्त होने पर उनके स्थान पर श्री के. एस. मण्डावी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पत्थलगांव को, कृषि उपज मण्डी समिति कुनकुरी जिला जशपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/5616.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7717 रायपुर, दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री जे. आर. बरिहा, डिप्टी कलेक्टर जशपुर को कृषि उपज मण्डी समिति जशपुर, जिला-जशपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-जशपुर के पत्र क्रमांक/762/स्टेनो/2011 जशपुर, दिनांक 23-12-2011 द्वारा श्री बरिहा द्वारा दिनांक 31-12-2011 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्ति होने की सूचना प्रदान करने के साथ ही उनके स्थान पर श्री अवनिश कुमार शरण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को मण्डी समिति जशपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री जे. आर. बरिहा, डिप्टी कलेक्टर जशपुर के सेवानिवृत्त होने पर उनके स्थान पर श्री अवनिश कुमार शरण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जशपुर को, कृषि उपज मण्डी समिति जशपुर, जिला जशपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2011

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2011-12/5697.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7923 रायपुर, दिनांक 26-02-2011 द्वारा श्री बी. एल. गजपाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को कृषि उपज मण्डी समिति कुरूद, जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-धमतरी के आदेश क्रमांक/10273/वित्त-1/11 धमतरी दिनांक 26-12-2011 द्वारा श्री बी. एल. गजपाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद का स्थानांतरण जिला कार्यालय में होने एवं उनके स्थान पर सुश्री द्रौपती जेसवानी, डिप्टी कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी (राज.) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी कुरूद के पद पर पदस्थ किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री बी. एल. गजपाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद के स्थान पर सुश्री द्रौपती जेसवानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुरूद को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति कुरुद, जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2011

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/5707.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/2971 रायपुर, दिनांक 17-08-2011 द्वारा श्री पी. के. गुप्ता, तहसीलदार, मुंगेली को कृषि उपज मण्डी समिति मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-बिलासपुर के पत्र क्रमांक 2391 दिनांक 29-12-2011 द्वारा 01 जनवरी 2012 से मुंगेली नवीन जिले के रूप में अस्तित्व में आने से जिला मुख्यालय होने के कारण श्री पी. के. गुप्ता, तहसीलदार के स्थान पर श्री एन. सी. नैरोजे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली को कृषि उपज मण्डी समिति मुंगेली के भारसाधक अधिकारी का दायित्व सौंपे जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री पी. के. गुप्ता, तहसीलदार, मुंगेली के स्थान पर श्री एन. सी. नैरोजे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2012

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2011-12/5817.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7574-7575 रायपुर, दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री शरीफ मोहम्मद खान, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग-अभनपुर को कृषि उपज मण्डी समिति नवापारा जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-रायपुर के आदेश क्रमांक/449/विलि/छै-2/2011 रायपुर, दिनांक 30-12-2011 द्वारा श्री शरीफ मोहम्मद खान, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग-अभनपुर का स्थानांतरण जिला गरियाबन्द में होने एवं उनके स्थान पर श्री सौमिल रंजन चौबे, डिप्टी कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग-अभनपुर के पद पर पदस्थ किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री शरीफ मोहम्मद खान, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग-अभनपुर के स्थान पर श्री सौमिल रंजन चौबे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग-अभनपुर को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति नवापारा, जिला रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

सुरेन्द्र कुमार जायसवाल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील- डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

डभरा, दिनाक 5 नवम्बर 2011

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखें]

क्रमांक 770.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पावर प्लांट हेतु 1200 एम.एम. पानी के पाईपलाईन परियोजना ग्राम-साराडीह, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम दर्रामुड़ा तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स एस. के. एस. पावर जनरेशन (छ.ग.) लिमिटेड ग्राम बिजकोट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/	1135/3	0.04 एकड़
		प.ह.नं. 22	1135/2	0.05 एकड़
			1135/1	0.05 एकड़
			1135/4	0.05 एकड़
			951/4	0.03 एकड़
			805/7	0.02 एकड़
			805/4	0.02 एकड़
			946/2	0.02 एकड़
			1079/2	0.02 एकड़
			1080	0.01 एकड़
			1081/1	0.02 एकड़
			1082	0.02 एकड़
			1067/7	0.02 एकड़
			1067/6	0.02 एकड़
			1067/4	0.02 एकड़
			1067/2क	0.02 एकड़
			1067/2ख	0.02 एकड़
			950/1	0.02 एकड़

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			949/1	0.03 एकड़
			1067/2ख	0.02 एकड़
			813	0.05 एकड़
			814	0.01 एकड़
			815	0.02 एकड़
			765/1	0.02 एकड़
			764/1	0.02 एकड़
			764/2	0.02 एकड़
			762/1	0.03 एकड़
			762/2	0.02 एकड़
			702/1	0.02 एकड़
			702/2	0.02 एकड़
			705	0.03 एकड़
			706/1	0.02 एकड़
			706/2	0.02 एकड़
			710	0.04 एकड़
			712/2	0.03 एकड़
			713	0.03 एकड़
			714	0.02 एकड़
		योग	**37**	**0.72 एकड़**

डभरा, दिनांक 5 नवम्बर 2011

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखें]

क्रमांक 772.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पावर प्लांट हेतु 1200 एम.एम. पानी के पाईपलाईन परियोजना ग्राम-साराडीह, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम दर्रामुड़ा तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स एस. के. एस. पावर जनरेशन (छ.ग.) लिमिटेड ग्राम बिजकोट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/	560/1	0.02 एकड़
		प.ह.नं. 14	561/1	0.02 एकड़
			558/2	0.03 एकड़
			571	0.02 एकड़
			582/1	0.01 एकड़
			588	0.03 एकड़
			582/2	0.09 एकड़
			184	0.02 एकड़
			186	0.02 एकड़
			185/1	0.02 एकड़
			185/2	0.02 एकड़
			150/1	0.03 एकड़
			150/2	0.03 एकड़
			151/1	0.02 एकड़
			151/4	0.02 एकड़
			151/7	0.02 एकड़
			151/10	0.02 एकड़
			152/1	0.03 एकड़
			152/2	0.02 एकड़
			152/3	0.03 एकड़
			152/4	0.02 एकड़
			89	0.10 एकड़
			84	0.03 एकड़
			55	0.03 एकड़
			56/2	0.03 एकड़
			57/1	0.02 एकड़
			57/6	0.03 एकड़
			57/7	0.02 एकड़
		योग	**28**	**0.80 एकड़**

एस. सी. श्रीवास्तव,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)